

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सं.43/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि.1257(अ).— आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1071(अ), तारीख 28 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 26/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 28 अगस्त, 2017 को, सिवाय उन बातों के, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए, किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-6** में जुलाई, 2017, अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 15 नवम्बर, 2017 तक विस्तार करता है।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 43/2017 – Central Tax

G.S.R. 1257(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) and in supercession of notification No. 26/2017-Central Tax, dated the 28th August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1071 (E), dated the 28th August, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Commissioner hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in **FORM GSTR-6** under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the months of July, 2017, August, 2017 and September, 2017 till the 15th day of November, 2017.

[F. No.349/74/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2017

सं.44/2017-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 1258(अ).— केन्द्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के अनुसरण में और आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्ररूप जीएसटी आईटीसी-01 में घोषणा करने के लिए, जो इस प्रभावी महीनों को माह जुलाई, 2017, अगस्त, 2017 और सितम्बर, 2017 के दौरान पात्र हो गए हैं, जिन्हें 31 अक्तूबर, 2017 तक उक्त अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का लाभ उठाने के वे पात्र हैं, समय सीमा विस्तारित करते हैं।

[फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी.)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव